26.4.2020

R.M.M Law College, Saharsa
Amrendra Kumar Trivedi
part-time Law Teacher

Evidence Act
part III year

Evidence Act साक्ष्य अधिनियम 1872।

साक्ष्य अधिनियम 1872 के पारित होने से पूर्व देश के सर्वत्र एक ही प्रकार के साक्ष्य नियम प्रचलन में नहीं थे। विभिन्न भागों में न्यायालय भिन्न भिन्न नियमों का अनुसरण करते थे। कहीं इंग्लैण्ड में प्रचलित नियमों का अनुसरण किया जाता था तो कहीं प्रचलित रीति द्वारा स्वीकृत नियमों का। साक्ष्य अधिनियम ने विभिन्न नियमों का एकत्र करके उन्हें विधायिका द्वारा नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया। साक्ष्य नियमों का संहिताकरण हो जाना न्यायालयों और उन सभी व्यक्तियों तथा संस्थाओं के लिये जिनका न्याय प्रशासन से कार्य से सम्बन्ध है हितकारी एवं लाभदायक है।

साक्ष्य में ग्राह्य (Admissible) अथवा अग्राह्य (Inadmissible) में कोई पूर्व निश्चित कसौटी न होने की दशा में न्यायालयों को किसी साक्ष्य स्वीकार करने में कोई कठिनाई का सामना होता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम सभी न्यायालयी कार्यवाहियों में लागू होता है।

सामान्यतः दीवानी तथा फौजदारी कार्यवाहियों के साक्ष्य सम्बन्धी नियम एक हैं। इन कार्यवाहियों में केवल उत्तम साक्ष्य को ही ग्रहण किया जाता है। दोनों में ही केवल विवाद-विषय तक सीमित रखा जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम दीवानी फौजदारी दोनों कार्यवाहियों पर लागू होता है। सभी विवाद, व्यक्तियों तथा न्यायालयों के लिए समान है प्रमाण भार की मात्रा दोनों में समान है। परन्तु अपराधिक मामलों में एक अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकृति (confession) साक्ष्य रूप में न्यायालय द्वारा परीक्षण ग्राह्य नहीं है जबकि दीवानी कार्यवाहियों में यही स्वीकृति साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जा सकती है।

दीवानी मामलों में सम्बन्धित व्यक्ति का चरित्र साक्ष्य के विसंगत है जबकि अपराधिक मामलों में सम्बन्धित व्यक्ति अच्छा चरित्र सुसंगत है। अंग्रेजी विधि के उस सिद्धान्त पर आधारित है कि "यह बेहतर होगा कि दस दोषी व्यक्ति छूट जाये बजाय इसके कि एक निर्दोष व्यक्ति दोष सहन करे। साक्ष्य अधिनियम के दीवानी मामलों में तोड़ मरोड़ सम्भावित है। जबकि अपराधिक मामलों में न्यायालय सम्बन्धित सकल रिकार्ड और साक्ष्य के आधार पर अपना फैसला दे।

वास्तव में भारत में लागू होने वाली साक्ष्य अधिनियम (विधि) इंग्लैंड में लागू होने वाली साक्ष्य विधि पर आधारित है।